अपील सूचना अधिकार संख्या 68/2021 (GCMS 2021/107)(आईटीआई पोर्टल नं. 212029013070216) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

21.02.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07.06.2021 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2021 के द्वारा कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> कोषाधिकारी, श्री नरेश अग्रवाल व अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने कोषाधिकारी के पत्रांक 438 दिनांक 9.12.2019 के बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया है कि "अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदचय के समक्ष लगभग 500 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा चुके है तथा समस्त अपीले माननीय आयोग द्वारा खारिज की गई है:
>
> 1. प्रार्थी के द्वारा 500 से अधिक आवेदन जो प्रस्तुत किये गये है उनकी सूचना व 500 से अधिक आवेदनों की प्रतियां मांगी है।
> 2. माननीय आयोग द्वारा 500 से अधिक अपीलें जो खारिज की गई है, उनके अपीलार्थी का नाम, अपील संख्या व निर्णय की सूचना व निर्णय की प्रति जो खारिज की गई है, मांगी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक कोष/गंगा/2020—21/486 दिनांक 06.08.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राधेश्याम गोयल ने आवेदन पत्र के मुताबिक कोषाधिकारी के पत्रांक 438 दिनांक 03.12.19 के अनुसार प्रमाणित प्रतिया चाही है। आवेदक के सम्बन्धित आवेदन पत्र में राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में परिवाद संख्या सी.आई.सी./एसजीएनजी/ए/2019/115061 विचाराधीन था। जिसमें दिनांक 06.11.2020 में अपील खारिज हो चुकी है। निर्णय की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है।
>
> -sd-
> कोषाधिकारी
> श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक कोष/गंगा/2020—21/486 दिनांक 06.08.2021 के अनुसार अपीलार्थी ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में परिवाद संख्या सी.आई.सी./एसजीएनजी/ए/2019/115061 होने पर दिनांक 06.11.2020 में अपील खारिज हो चुकी है। इस संदर्भ में जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर के अपील संख्या सी.आई.सी./एसजीएनजी/ए/2019/115061 अनावन् राधेश्याम गोयल बनाम जिला कोषाधिकारी का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 4 में निम्न प्रकार से अंकित किया गया है:

> **अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14.06.2019 के द्वारा प्रभारी पंजीयन अधिकारी के पत्र दिनांक 05.04.2019 की प्राप्ति, उस पर की गई कार्यवाही एवं [illegible] के कार्य सम्बन्धित 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई [illegible] नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक [illegible] के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील इस न्यायालय के प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 23.09.2019 के विरूद्ध श्री राधेश्याम गोयल द्वारा किया जाना प्रतीत होता है। जबकि प्रार्थी ने जो वर्तमान अपील पेश की है वो उसके **प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2019 के बारे में जिसका जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के निर्णय दिनांक 06.11.2020 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध होना प्रतीत नहीं होता है।** इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रतिप्रेषित (Remand) करने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और जिला कोषाधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2021 में चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर भीतर निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:42 IST
Reason: SelfAttested